# कार्यालय आयुक्त (राजस्व), जयपुर नगर निगम

*ठेका पशु हटवाडा सूगली नदी, रामगढ रोड, जयपुर,*
*की ठेका नीलामी शर्ते*

सूगली नदी, रामगढ रोड पर जयपुर में लगने वाले पशु हटवाड़े को लाईसेन्स पर देने हेतु निविदा नीलामी की शर्ते निम्नवत होंगीः–

1. पशु हटवाडे की लाईसेन्स अवधि ठेका स्वीकृति तिथि से अर्थात लाइसेंस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। पशु हटवाडा संवेदक द्वारा प्रतिदिन लगाया जा सकेगा।
2. नीलामी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा।
3. नीलामी निविदा बोलीदाता को 7,00,000/–रू. (सात लाख रूपये) बतौर अमानता राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निगम में जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता की राशि उक्त राशि निगम कोष में बतौर धरोहर लाईसेन्स अवधि की समाप्ति तक जमा रहेगी।
4. उच्च बोलीदाता को सक्षम अधिकारी से बोली स्वीकृत हो जाने के उपरान्त सूचना प्राप्त होने के अगले दिवस दोपहर 2 बजे तक उच्चतम बोली की राशि की 1/4 राशि जरिये बैंकर्स चैक/डी.डी./नकद निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि उक्त निर्धारित समय तक जमा कराने में असफल होने पर पूर्व में जमा अमानता राशि रूपये 7,00,000/–रू. (सात लाख रू.) जब्त की जा सकेगी।
5. स्वीकृत उच्चतम बोली की 1/4 राशि निर्धारित समयावधि में निगम कोष में जमा हो जाने पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अस्थाई अनुज्ञा –पत्र जारी किया जावेगा, किन्तु निर्धारित अवधि में स्वीकृत उच्चतम बोली की 3/4 राशि जमा कराने में असफल रहने पर उक्त अस्थाई अनुज्ञा –पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
6. स्वीकृत उच्चतम बोली राशि की शेष 3/4 राशि दो समान किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त अस्थाई अनुज्ञा –पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर तथा द्वितीय किश्त 60 दिवस के अन्दर निगम कोष में जरिये बैंकर्स चैक/डी.डी./नकद जमा करानी होगी। उक्तानुसार राशि जमा कराने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि 7,00,000/–रूपये (सात लाख रू.) तथा जमा

उच्चतम  स्वीकृत बोली राशि की 1/4 राशि जब्त की जा सकेगी तथा अस्थाई अनुज्ञा –पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं इस बाबत अनुज्ञा –पत्र धारी कोई भी उज्र प्रस्तुत नही कर सकेगा। निर्धारित समयावधि में 3/4 राशि जमा कराने पर स्थाई पत्र जारी किया जावेगा।

7. यदि स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता द्वारा शर्तो में उल्लेखित अवधि के अन्दर 1/4 राशि अथवा 3/4 राशि अथवा दोनों राशिया जमा नही कराने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को बुलाकर निगम द्वारा परस्पर वार्ता (नेगोशिएशन) उपरान्त परस्पर सहमति के आधार पर ठेका स्वीकृत किये जाने अथवा पुनः नीलाम किये जाने का निर्णय किया जा सकेगा।
8. लाईसेन्सधारी हटवाडे में निम्न दर से वसूली कर सकेगा :– (क) पशुओं को वाहन से उतारने व चढाने हेतु पेडा/ठिया शुल्क प्रत्येक वाहन से 50/–रूपये की दर। (ख) पशुओं के प्रवेश पर शुल्क गाय व बछड़े पर 5/–रूपये व भैस, पाडा, पाडी पर 10/–रूपये प्रति जानवर। (ग) पशुओं के क्रय पर रवन्ना शुल्क ऊँट– ऊँटनी, भैस, बैल, घोडा–घोडी व इनके बच्चे पर 100/–रूपयें प्रति नग। (घ) बकरा–बकरी, गधा–गधी, भेड, गाय आदि व इनके बच्चे इत्यादि पर 50/–रूपये प्रति नग। उपरोक्त दर्शायी गयी वसूली के अतिरिक्त लाईसेन्सधारी किसी थडी, टेन्ट आदि से किसी भी प्रकार का भूमि किराया, विधुत, पानी का शुल्क नहीं ले सकेगा। लाईसेन्सधारी हटवाडा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कच्चा – पक्का स्थाई  या अस्थाई निर्माण नही करायेगा। संवेदक को अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छांयाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
9. पशु हटवाडे/हटवाडा निगम द्वारा स्वीकृत निश्चित स्थान पर ही लगाया जा सकेगा। वर्तमान में पशु हटवाडा स्थान सूगली नदी, रामगढ रोड पर ही है। किसी भी परिस्थितियों में निगम यदि उचित समझेगा, तो स्थान परिवर्तन कर सकेगा। इस बाबत सफल बोलीदाता को ऐतराज करने का अधिकार नही होगा।
10. ठेकेदार ठेके की अवधि में 1 मेला  अपनी सुविधानुसार अपने खर्चे पर लगवा सकेगा, जो अधिकतम 7 दिन का होगा।

11. पशु हटवाडें में एक बोरिंग पानी की सप्लाई हेतु बिजली की मोटर एक कमरा तथा बिजली की लाईन से कनेक्शन की सुविधा नगर निगम उपलब्ध करायेगा। किन्तु पशु हटवाडे में पर्याप्त मात्रा में पानी, विधुत , रोशनी आदि की सुविधा स्वयं लाईसेन्सधारी उपलब्ध करायेगा तथा उसे उपरोक्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रकार के पानी, विधुत आदि का खर्चा जमा करवाना होगा। पानी की मोटर खराब होने पर लाईसेन्सधारी को ठीक करवानी होगी। लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर समस्त खर्चे का बकाया नही प्रमाण पत्र निगम से लेना होगा, तभी जमा धरोहर राशि लौटाई जायेगी। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान सही हालत में संभलवाना होगा।
12. पशुओं के गोबर खाद आदि की आय लाईसेन्सधारी की होगी, जो उसे स्वयं को ही एकत्र करनी होगी। लाईसेन्सधारी को पशुओं के गोबर को प्रति दिन उठवाने व निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र करने की उचित व्यवस्था करनी होगी। हटवाडा क्षेत्र में गंदगी न रहे एवं किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नही हो यह जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी।
13. पशु हटवाडे का प्रचार प्रसार लाईसेन्सधारी को स्वयं के व्यय से करना होगा। वसूली की जाने वाली प्रत्येक राशि की रसीद निगम की ओर से पशु मालिको को देनी होगी, जो उसे स्वयं के खर्चे से मुद्रित करवानी होगी। तथा इन्हें निगम से प्रमाणित करवाना होगा।
14. लाईसेन्सधारी को पशु हटवाडा क्षेत्र में पशु हटवाडे के स्थान पर सार्वजनिक सूचना का एक बोर्ड स्वयं को लगाना होगा, जिस पर लाईसेन्सधारी फर्म का नाम वसूल की जाने वाली राशि (फीस) आदि की दर दर्शायी जावेगी।
15. यदि बिक्री कर या अन्य कोई कर देय होगा, तो इसके भुगतान की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ठेकेदार द्वारा आयकर विभाग द्वारा ठेका राशि पर संग्रहित की जाने वाली टी.सी.एस. की राशि प्रभावित दरों पर ठेका राशि के साथ ही जैसे – जैसे ठेके की राशि जमा होगी, उसी के अनुपात में टी.सी.एस. भी जमा करानी होगी।
16. लाईसेन्सधारी पर कोई राशि बकाया रहने की स्थिति में नगर निगम को यह अधिकार होगा, कि वह बकाया रकम लाईसेन्सधारी की अमानता राशि से एवं उसकी चल–अचल सम्पति तक पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट अथवा लैण्ड रेवन्यु एक्ट के

तहत वसूल करें। यह राशि निगम के पास उपलब्ध अन्य राशि से भी की जा सकेगी।

17. हटवाडे के दौरान असामान्य घटना जैस चौरी, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि से हुए किसी भी नुकसान के लिये नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

18. लाईसेन्सधारी को हटवाडे के संबंध में समय समय पर राज्य सरकार व निगम द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का पालन करना होगा।

19. नगर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी हटवाडा क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगें एवं व्यावसायियों का निरीक्षण कर सकेगें तथा गलत पाये जाने पर कार्यवाही कर सकेगे।

20. लाईसेन्सधारी द्वारा हटवाडे का संचालन शर्तो के अनुसार न करने या अव्यवस्था पाये जाने पर लाईसेन्स निरस्त किया जा सकेगा एवं पुनः निविदा नीलामी की जा सकेगी।

21. लाईसेन्स स्वीकृति के 7 दिवस में लाईसेन्सधारी द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध पर दो गारन्टर के जिनके पास स्वयं की अचल सम्पति को हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं के हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

22. ठेकेदार को निर्धारित दर से राशि वसूल करनी होगी। यदि ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करता है, तो अमानता राशि से निम्न प्रकार कटौती की जावेगी।
प्रथम बार नोटिस पर– 50,000/–रूपयें(अक्षरे पच्चास हजार रू.)
द्वितीय बार नोटिस पर– 1,00,000/–रूपयें, (अक्षरे एक लाख रू.)
तृतीय बार गलती करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा संवेदक द्वारा जमा करायी गई समस्त राशि (धरोहर+ठेका राशि) जप्त कर ली जावेगी।

23. उपरोक्त ठेके की किसी भी शर्त की अनुपालना नही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं जमाशुदा राशि जब्त की जा सकेगी तथा शुल्क की वसूली नगर निगम अपने स्तर पर करवा सकेगी। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर (राज.) रहेगा। तथा किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

24. शर्त सं. 1 में उल्लेखित लाईसेन्स अवधि को अनुज्ञा–पत्र धारी ठेका समाप्ति तिथि के 3 माह पूर्व आवेदन करने पर पारस्परिक सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए वर्तमान में स्वीकृति ठेका राशि की अनुपातिक वार्षिक दर में 20प्रतिशत की वृद्धि सहित अवधि बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु  उक्त वृद्धि सहित देय समस्त राशि की 1/4 राशि स्वीकृति के अगले दिवस दोपहर 2 बजे तक एवं शेष 3/4 राशि समान दो किश्तों में क्रमशः 30 दिवस व 60 दिवस में जमा करानी होगी एवं अन्य लागू शर्ते पूर्ववत रहेगी। ठेका अवधि बढ़ाने/नहीं बढ़ाने के संबंध में जयपुर नगर निगम का निर्णय ही अंतिम होगा तथा संवेदक के लिए बाध्यकारी होगा।

आयुक्त(राजस्व)
जयपुर नगर निगम

# कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांकः– एफ–6 ( ) आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/09/ दिनांकः–

## पशु हटवाड़ा नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा पशु हटवाडा जो रामगढ़ रोड़, सूगली नदी, जयपुर क्षेत्र में खसरा नं. 8061/9255 तथा 8061/9256 को छोडते हुए लगाया जाता है का ठेका स्वीकृति तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए खुली बोली द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार नीलाम किया जावेगाः–

| क्र. सं. | ठेके का नाम | नीलामी स्थल | नीलामी समय/दिनांक | अमानता राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पशु हटवाडा सुगली नदी रामगढ रोड, जयपुर | निगम मुख्यालय लालकोठी के कमरा नं. ‶.106 के सामने। | 2 से 5 बजे तक 04.01.2010 | 7लाख रूपये (बैक ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक के रूप में) |

नोटः–

1. नीलामी की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व निर्धारित अमानता राशि रूपये 7 लाख का जयपुर नगर निगम के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक के द्वारा जमा करानी होगी।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

प्रतिलिपिः–

1. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर नगर निगम को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के आगामी अंक में प्रकाशित करवाऐं।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम